

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड़, सिरसा टेलिफोन न० 01666-243307

Email:- forest_sirsa@yahoo.com&dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक:
सेवा में

स्मरण-पत्र 1

दिनांक:

Sh. Rajesh Kumar S/o Sh. Jagdish,
R/o Nathusari-Kalan, Tehsil- Nathusari Chopta,
Distt. Sirsa. Mobile No. 98124-22992

विषय: Diversion of 0.011 ha. of forest land for access to M/s Jagdish Dharamkanta along Chopta-Bhadra road, km. 1.00, R/side at village Nathusari Kalan, under Forest Division & Distt. Sirsa.
Proposal No. FP/HR/Approach/40225/2019

संदर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 9-HRB140/2021-CHA दिनांक 01.05.2023 व इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2251 दिनांक 30.06.2023।

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त विषयांकित केस में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत सी0ए0 स्कीम अनुसार राशि का डिमांड नोट निम्नप्रकार से जारी करते हुए आपको लिखा गया था कि आप यह राशि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में जमा करवाएं।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Compensatory Afforestation	155374.00
2	Additional Compensatory Afforestation	0.00
3	Penal Compensatory Afforestation	0.00
4	Catchment Area treatment (Soil & Moisture Conservation Charges) CA+ACA	22613.00
5	Supervisory/Overhead/Miscellaneous (CA+ACA)	7537.00
6	Penalty for violation	0.00
7	Additional Charges for Protected Area (Demarcation Charges)	0.00
8	Net Present Value (NPV)	10536.00
9	Felling Charges	1092.00
	G.Total	197152.00

परन्तु आप द्वारा उक्त राशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करवाकर चालान की प्रति आज तक भी इस कार्यालय में नहीं भेजी गई है।

इसके अतिरिक्त बिन्दू स० 1 के भाग (iv) अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में जिलाधीश सिरसा से प्राप्त प्रमाण पत्र व बिन्दू स० 2 B अनुरूप दस्तावेज/अण्डरटेकिंग की प्रति व शीघ्रातिशीघ्र मण्डल कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। यदि अब भी आप द्वारा उक्त रिपोर्ट मण्डल कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाई गई तो इस बारे उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया जायेगा। जिसके बाद प्रस्ताव रद्द होने की स्थिति में आप पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

दस्तावेज
वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

पृ० क्रमांक 5656

दिनांक 18-12-2023

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सिरसा को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त साईट का आप स्वयं मौका निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की उल्लंघना होने की स्थिति में एफ०सी०ए० 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।